न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– मदन सिंह आदि बनाम कल्याण सिंह आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 16 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र
29.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर मूल वाद में प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट में मूल वाद के निस्तारण तक टी0आई0 कंफर्म करने हेतु निवेदन किया गया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.21 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि ख0नं0 684 रकबा 2.7800 है0 ख0नं0 693 रकबा 2.7500 है0 ख0नं0 699 रकबा 0.1800 है0 ख0नं0 707/988 रकबा 0.0400 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 5.7500 है0 भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था। चूंकि मूल वाद में वकील उभय पक्ष के निवेदन पर वाद में प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट में मूल वाद के निस्तारण तक टी0आई0 कंफर्म करने हेतु निवेदन किया गया। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि ख0नं0 684 रकबा 2.7800 है0 ख0नं0 693 रकबा 2.7500 है0 ख0नं0 699 रकबा 0.1800 है0 ख0नं0 707/988 रकबा 0.0400 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 5.7500 है0 में मूल वाद के निस्तारण तक भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर